

प्रेस-विज्ञप्ति

## थाना बिलरियागंज

### 01 किग्रा 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र भ्रमण तलाश वंछित अपराधी में मामूर होकर मधनापार तिराहे पर मौजूद थे जहाँ ईगल मोबाइल में नियुक्त का0 राकेश तिवारी व का0 शशि प्रकाश सिंह मिले जिनसे अपराधियों के सम्बन्ध में वार्ता की जा रही थी कि मुखबिर खास आकर बताया कि साहब एक व्यक्ति मोहम्मदपुर की तरफ से अण्डाखोर तिराहे की तरफ पैदल आ रहा हैं उसके पास एक सफेद झोले में नाजायज गांजा भी हैं, इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मिथलेश कुमार द्वारा क्षेत्राधिकारी सगड़ी को इस सूचना से जरिये संचार माध्यम से अवगत कराते हुए मय हमराह कर्म0गण व ईगल मोबाइल व मुखबिर खास के मधनापार तिराहे से प्रस्थान कर अण्डाखोर के पास पहुँचकर आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कि क्षेत्राधिकारी सगड़ी भी आ गये तब तक एक व्यक्ति अण्डाखोर की तरफ से पैदल आता दिखाई दिया कि मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक वारगी हिकमत अमली से आने वाले व्यक्ति को तिराहे से करीब 50 कदम की दूरी से पहले ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम पता **मो0 आजम उर्फ सिबू पुत्र मो0 मौलाना सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़** बताया, उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से प्लास्टिक के सफेद झोले में एक किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। अवैध गांजा रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा और अपनी गलती का बार- बार माँफी मांगते हुए बता रहा हैं कि साहब इस गांजे को मैं घुम फिरकर बेचकर अपना जीविका चलाता हूँ। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS ACT का दण्डनीय अपराध बताकर समय करीब 09.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मो0 आजम उर्फ सिबू पुत्र मो0 मौलाना सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़  
बरामदगी-

01 किग्रा 200 ग्राम नाजायज गांजा ।

#### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 174/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ0नि0 मिथलेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2- का0 संजय कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3- का0 नरेन्द्र सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 4- का0 अभिमन्यु मिश्रा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 5- का0 राकेश तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 6- का0 शशि प्रकाश सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

## थाना गम्भीरपुर

### एक अदद नाजायज तमंचा तथा 04 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर के साथ अभियुक्त

#### गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तारी एनबीडब्लू अभियुक्तगण के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन मे व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व उ.नि. संजय सिंह चौकी प्रभारी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मय हमराह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के भ्रमणशील थे कि सन्तोष कुमार पुत्र मंगरुराम उम्र 25 वर्ष निवासी

ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ द्वारा जरिये दुरभाष बताया कि मेरा चाचा मिठाई लाल पुत्र स्व० शूलचन्द उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ जिससे पुरानी जमीनी विवाद है मेरे घर पर मारने के लिये आये है जिसके पास अवैध तमंचा है इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मौके पर मिठाई लाल उपरोक्त मौजूद था जो पुलिस टीम को देखकर भागना चाहा कि दौड़ाकर समय करीब 11.40 बजे पकड लिया गया. पकडे गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास नाजायज तमंचा है इस लिए आप लोगो को देखकर भाग रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद नाजायज तमंचा तथा 04 अदद जिन्दा कारतुस 303 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

मिठाई लाल पुत्र स्व० शूलचन्द निवासी ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष

### बरामदगी का विवरण

एक अदद नाजायज तमंचा तथा 04 अदद जिन्दा कारतुस 303 बोर

### पंजीकृत अभियोग

मु० अ० सं० 213/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ.नि. संजय सिंह चौकी प्रभारी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. HC रामचन्द्र यादव चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. हे०का० मनोज सिंह चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ,
4. का० सुनील कुमार यादव चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़,
5. का० शैलेन्द्र यादव चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

### थाना गम्भीरपुर

### एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तारी एनबीडब्लू अभियुक्तगण के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन मे व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 07.09.21 को उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद पटेल क्षेत्र मे खाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु०अ०सं० 260/2018 धारा 366,376डी भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मे फरार व वांछित अभियुक्त राजन राजभर पुत्र कुमार राजभर निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ अपने घर पर आया है मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजन राजभर को उसके घर से कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 20.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

## पंजीकृत अभियोग

मु0 अ0 सं0 260/2018 धारा 366,376डी भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

## गिरफ्तार करने वाली टीम

उ.नि. राजेन्द्र प्रसाद पटेल थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

म.का. रत्नावली कुशवाहा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

## थाना फूलपुर

### एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना फूलपुर आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में दि0 07.10.2021 को उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त अनोज कुमार उर्फ वियर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद लोना साकिन शाहपुर फिरोजपुर थाना- जलालपुर अम्बेडकर नगर उम्र करीब 20 वर्ष को 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ समय करीब 21.30 बजे रेलवे क्रासिंग अम्बारी से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 174/2021 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### सम्बन्धित मुकदमा -

मु0अ0सं0 174/2021 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

### अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 -51/2021 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनोज कुमार उर्फ वियर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद लोना साकिन शाहपुर फिरोजपुर थाना- जलालपुर अम्बेडकर नगर उम्र करीब 20 वर्ष

### बरामदगी-

एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह
2. का0 दीपक कुमार मौर्य
3. का0 पंकज यादव
4. का0 पवन भारती

## थाना- कप्तानगंज

### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.10.2020 को श्री संतोष सेठ पुत्र लालसा सेठ ग्राम ककरही थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा इस बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं प्रार्थी अपनी दुकान बन्द करके अपने मोटरसाइकिल से घर जाते समय घर के करीब पहुँचने वाले थे कि देउरपुर सीवान के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाशों ने समय करीब 05.45 बजे रोककर असलहे से डरा कर गाड़ी की डिग्गी में रखा लगभग 2.300 ग्राम चाँदी और 30 ग्राम सोने के अभूषण लेकर चले जाना कि आवेदक के दाखिल तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 187/2020 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम दो मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाश नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त शिवशंकर यादव उर्फ रमाशंकर उर्फ शंकर यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। जिसकी विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहत क्षेत्र में मामूर होकर मुखबीर सूचना के आधार पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ मय हमराहियान के अभियुक्त शिवशंकर यादव उर्फ रमाशंकर उर्फ शंकर यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज

जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 08.10.2021 को समय करीब 09.30 बजे कन्धरापुर से बिलरियागंज को जाने वाले तिराहे के पास कन्धरापुर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 187/2020 धारा 392 भा0द0वि0 व बढ़ोतरी धारा 411 भादवि थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

**अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0- 59/21 धारा 307/419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना अतरौलिया

2. मु0अ0सं0- 132/20 धारा 386/504/506 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

शिवशंकर यादव उर्फ रमाशंकर उर्फ शंकर यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-**

जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से लूट की धनराशि में से 1000 रूपया बरामद हुआ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –**

1. प्र0नि0 बिन्दु कुमार थाना कप्तानगंज
2. का0 विनय शंकर मिश्रा,
3. का0 अंकुर तिवारी,

**थाना- जीयनपुर**

**1 नफर दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी के आदेश/चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्त / संदिग्ध व्यक्ति/ चेकिंग गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव मय हमराह का0 अंकुर सिंह, का0 प्रमोद यादव म0आ0 साधना तोमर म0का0 शिवानी सिंह के द्वारा मु0अ0सं0 292/21 धारा 498 ए, 304 बी भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संजय चौहान पुत्र सरदार चौहान निवासी भरौली थाना जीयनपुर आजमगढ़ को अजमतगढ़ तिराहे से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

संजय चौहान पुत्र सरदार चौहान निवासी भरौली थाना जीयनपुर आजमगढ़

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 292/21 धारा 498 ए, 304 बी भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्र0नि0 दिनेश कुमार यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अंकुर सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 प्रमोद यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. म0आ0 साधना तोमर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. म0का0 शिवानी सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

**थाना- रानी की सराय**

**एक नफर वारंटी गिरफ्तार**

ब0उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराहीयान के द्वारा वारंटी हरिलाल राम पुत्र सुखराम ग्राम मझगावां थाना रानी की सराय, आजमगढ़ उम्र 64 वर्ष सम्बन्धित मु0नं0 4691/19 न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ को आज दिनांक 08.10.2021 को समय करीब 12.50 बजे अभियुक्त के घर ग्राम मझगाँवा से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग-

4691/19 न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त -

हरिलाल राम पुत्र सुखराम ग्राम मझगावां थाना रानी की सराय, आजमगढ़ उम्र 64 वर्ष।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

ब0उ0नि0 नवल किशोर सिंह, हे0कां0 प्रदीप पाण्डेय, कां0 शशिभूषण, कां0 शिवम सिंह थाना रानी की सराय, आजमगढ़।

### थाना सरायमीर

### 03 नफर वारण्टी गिरफ्तार

उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह द्वारा आज दिनांक 08.10.2021 को अभियुक्त गण 1. करमवीर पुत्र लोचन राम सा0 बरवां रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2. सकन्चू पुत्र हरिकरन सा0 बरवां रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 3. सुरेश यादव पुत्र दशरथ यादव सा0 बरवां रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के घर ग्राम बरवां रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से समय करीब 7.10 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में एसटी नं0 59/21 धारा 13 जुआ अधिनियम मा0 न्यायालय वि0न्याया0 मजि0 आजमगढ़ से एन0बी0डब्लू प्राप्त था।

### पंजीकृत अभियोग-

एसटी नं0 59/21 धारा 13 जुआ अधिनियम मा0 न्यायालय वि0न्याया0 मजि0 आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. करमवीर पुत्र लोचन राम सा0 बरवां रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. सकन्चू पुत्र हरिकरन सा0 बरवां रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. सुरेश यादव पुत्र दशरथ यादव सा0 बरवां रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 आशुतोष यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. का0 इन्द्रजीत यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

### थाना मुबारकपुर

### 01 नफर वारंटी गिरफ्तार

आज दिनांक- 08.10.2021 को वारंटी मौला यादव पुत्र स्व0 सूर्यबली सा0 खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0 नं0 4722/20 धारा- 498ए, 323,504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट को अभियुक्त के घर दबिश दे कर समय 08.25 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

मौला यादव पुत्र स्व0 सूर्यबली सा0 खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तारी करने वाले टीम का विवरण -

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार , थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
2. का0 अजय कुमार थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

### थाना- कप्तानगंज

## 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

उप निरीक्षक जितेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज मय हमराहियान के माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट मु0न0-544/20 धारा-498A भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में अभि0 रामदवर प्रजापति पुत्र स्व0 चतुर निवासी ग्राम भरौली टोडर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को उसके घर से दबिश देकर आज दिनांक 08.10.2021 को समय 05.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त –**

रामदवर प्रजापति उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र स्व0 चतुर निवासी ग्राम भरौली टोडर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़  
बरामदगी-

### **गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह
2. का0 नित्यानन्द सिंह,
3. का0 पंकज यादव,
4. का0 विशाल जायसवाल,
5. का0 भाष्कर मिश्र

तथा

उप निरीक्षक जितेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज मय हमराहियान के माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट मु0न0-385/19 धारा-272/273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 में अभि0 मनोज सोनकर पुत्र शंकर सोनकर निवासी ग्राम पियरिया धर्मशाला थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को उसके घर पर दबिश देकर आज दिनांक 08.10.2021 को समय 06.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त –**

मनोज सोनकर उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र शंकर सोनकर निवासी ग्राम पियरिया धर्मशाला थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

### **गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह
2. का0 नित्यानन्द सिंह,
3. का0 पंकज यादव,
4. का0 विशाल जायसवाल,
5. का0 भाष्कर मिश्र